

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2161 / 2021

दिनांक : 30.09.2021

श्रीमती वीना मोहनानी (RJ1162), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेरलीमण्डी (अलवर) को दिनांक 06.09.2021 से 04.03.2022 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 05.09.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री प्रिया यादव (RJ1158), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुमर (अलवर) को श्रीमती वीना मोहनानी के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेरलीमण्डी (अलवर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

01. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
02. सुश्री प्रिया यादव (RJ1158), अति. कार्यभार वाले न्यायालयों में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate Week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।


आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 30.09.2021

क्रमांक:-स्था.बी.2 (4)/27/2017/ 6162

दिनांक 30.09.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

01. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
02. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 29534 दिनांक 15.09.2021 के सन्दर्भ में।
03. श्रीमती वीना मोहनानी (RJ1162), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेरलीमण्डी (अलवर)।
04. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेरलीमण्डी (अलवर)।
05. सुश्री प्रिया यादव (RJ1158), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुमर (अलवर)।
06. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठुमर (अलवर)।
07. संबंधित कोषालय।
08. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर।


30.9.2021
सहायक रजिस्ट्रार